भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 572

(दिनांक 06.12.2023 को उत्तर के लिए)

अतिरिक्त प्रयास/आयु सीमा में छूट

572. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महामारी के दो वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग -सीएसई की परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अतिरिक्त प्रयास और आयु में छूट दिए जाने की मांग को दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मांग पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग): कुछ सीएसई अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर तथा विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वारा व्यक्त किए मत के मद्देनजर, इस मामले पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया था तथा सीएसई के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में कोई परिवर्तन करना व्यवहार्य नहीं पाया गया था।